

बीर तोड़फोड़ की कार्रवाइयों के लिए पाकिस्तान के आमूचना (इंटेलिजेंस) कर्मचारियों ने गिरफ्तार कर लिया था। पाकिस्तानी अधिकारियों ने उन्हें तीन घंटे तक रोके रखा और फिर छोड़ दिया।

23 अगस्त 1967 को सबेरे भारतीय हाई कमीशन के परामर्शदाता ने भारतीय कर्मचारियों को गिरफ्तार करने, गैर-कानूनी तरीके से रोके रखने और इनके साथ दुर्व्यवहार करने के खिलाफ पाकिस्तान के विदेश कार्यालय को एक नोट दिया। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने उस समय हमारे परामर्शदाता को एक नोट दिया जिसमें उन्होंने भारतीय हाई कमीशन के एक वरिष्ठ अधिकारी के और अमले के सदस्यों के खिलाफ विरोध प्रकट किया था और उनके आचरण को अनुचित कहा था और मांग की थी कि वे 24 घंटे में पाकिस्तान से चले जाएं।

25 अगस्त 1967 के एक और नोट में पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने हमारे कर्मचारियों के खिलाफ अपने पहले आरोपों को दुहराने के अलावा, इस बात को मानने से इन्कार किया कि हमारे अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया था।

#### वार्षिक योजनाएं

\*9. श्री मोलहू प्रसाद :

डा० सूर्य प्रकाश पुरी :

श्री शिवचन्द्र शा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 अगस्त, 1967 के समाचारपत्रों में छपी इस आशय की खबरों की ओर दिलाया गया है कि पंचवर्षीय योजना की बजाय वार्षिक योजनाएं क्रियान्वित की जायेंगी तथा घन की उपलब्धता के अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिये कार्यवाही की जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार 'योजना आयोग' तथा योजना से सम्बन्धित विभिन्न मंत्रालयों में नियुक्त तकनीकी परामर्शदाताओं और अधिकारियों की संख्या उसी अनुपात से कम करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वंदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क.) से (ग.) ऐसा कोई समाचार सरकार के ध्यान में नहीं आया है। पर योजना आयोग में इस समय 1968-69 की वार्षिक योजना तैयार की जा रही है इसके तैयार होते ही चौथी पंचवर्षीय योजना की तैयारी का काम, आशा है जनवरी, 1968 में शुरू हो जाएगा। इसलिए तकनीकी परामर्शदाताओं और अन्य कर्मचारियों की संख्या कम करने का प्रश्न नहीं उठता। बहरहाल, प्रशासनिक सुधार आयोग यह जांच कर रहा है कि योजना आयोग में कर्मचारियों की कितनी आवश्यकता है और इसकी रिपोर्ट शीघ्र ही आने की आशा है।

#### जलप्रांगण की सीमा

\*10. श्री रामजी राम :

श्री शशि भूषण वाजपेयी :

श्री न० कु० सांधी :

क्या वंदेशिक-कार्य मंत्री 17 जुलाई, 1967 के अतारंकित प्रश्न संख्या 5832 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवहन सम्बन्धी अधिकारों की सुरक्षा करने की दृष्टि से देश का जल प्रांगण सीमा को 6 मील से बढ़ाकर 12 मील करने का निर्णय इस बीच किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है?

बैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां। राष्ट्रपति के 30 सितम्बर 1967 के एक अध्यादेश द्वारा भारत के प्रादेशिक जल की सीमा 6 से 12 समुद्री मील तक बढ़ा दी गई थी।

(ख) इस अध्यादेश की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

[पुस्तकालय में रख दिया गया।  
बेखिए संख्या LT/-1499/67]

#### INDIANS KILLED AND INJURED IN ADEN

\*11. SHRI RAM KISHAN GUPTA :  
SHRI MANIBHAI J. PATEL :

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a number of Indians were among the people injured and killed during the terrorist attacks in Aden recently;

(b) if so, how many Indians were injured and how many killed;

(c) the number of Indians in Aden and whether they are being repatriated; and

(d) if so, the details of the repatriation scheme.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) and (b). During recent disturbances in Aden three Indians were killed and fourteen injured. Except for one, all these casualties were accidental resulting from stray bullets and splinters of grenades aimed presumably at British security personnel.

(c) The number of Indian still in Aden is estimated at 1,200. About 500 of them are British subjects of Indian origin. A few hundred are expected to leave by the end of December 1967 by normal means of transport available in Aden;

(d) Since the Indians have not experienced any difficulty in availing the nor-

mal means of transport to leave Aden, the question does not arise.

संयुक्त राष्ट्र संघ में तिब्बत का मामला

\*12. श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

श्री रामावतार शर्मा :

श्री इसहाक साम्भली :

क्या बैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिब्बत को स्वतंत्र करने के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ में हाल में कुछ कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या दलाई लामा की जापान यात्रा के समय इस विषय पर बातचीत हुई थी; और

(ग) तिब्बत की संस्कृति को नष्ट होने से बचाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

बैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) भारत सरकार के किसी प्रतिनिधि ने अथवा उन की ओर से किसी अन्य व्यक्ति ने इस तरह की कोई बातचीत नहीं की। परम पावन दलाई लामा पूरी तरह निजी हैसियत में सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिये जापान की यात्रा पर गए थे।

(ग) भारत सरकार ने तिब्बत की स्वायत्तता का और उसकेवासियों की धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्वतंत्रता का समर्थन किया है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर भारत ने दिसम्बर 1965 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव का समर्थन किया जिसमें 'तिब्बत के लोगों के मूलभूत अधिकारों और स्वतंत्रताओं के निरंतर उल्लंघन' और 'इसके लोगों को विशिष्ट सांस्कृति तथा धार्मिक जीवन के दमन' की निंदा की गई है। इस प्रस्ताव